दिनांक	हुक्म या कार्यवाही
24-5-24	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14-6-24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल
14-6-24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर पेश हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रूक रूक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का शपथपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 105/24 प्रा०पत्र

श्री भंवरलाल S/o श्री खेमचंद जाट निवासी- बागोर तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्री ओमप्रकाश S/o श्री मांगीलाल जाट निवासी-बागोर तहसील-माण्डल
[पृष्ठांकित प्रा०पत्र संलग्न]

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 14-6-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.......बागोर.......पटवार हल्का.......बागोर I.......तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न०पृष्ठांकित प्रा०पत्र संलग्न.......कुल किता.......10.......रकबा.......1.3910.......हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि व विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ....24-5-24.......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.......बागोर.......पटवार हल्का.......बागोर I.......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.......पृष्ठांकित प्रा०पत्र संलग्न.......कुल किता.......10.......रकबा.......1.3910.......हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक.......बागोर.......को.......600.......रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि उपरोक्त शुल्क जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आराजी नं. 3533, 3531, 3535, 3538, 3539, 3542, 3545, 3549, 3532, 3537

कुल कितां- 10 रकबा 1.3910 हैक्टेयर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested